



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



फाइल नम्बर : 9-HR098/2019-CHA

दिनांक : 14.10.2019

सेवा में,

नोडल अधिकारी (FC) एवं वन संरक्षक
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा

विषय: Diversion of 0.6827 ha of forest land in favour of Executive Engineer, P.H. Engineering Division, Mandi Dabwali for laying of 36" i/d RCC Pipe Inlet Channel from Kaluana Link Channel to village Ganga Water Works along Goriwala-Chautala road km. 3.6 to 7.8 L/s, at village Ganga, under Forest Division and District Sirsa, Haryana (online proposal no. FP/HR/ Water/36117/2018)

सन्दर्भ: 1. नोडल आफिसर एव वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 8998/2562 दिनांक 25.09.2019.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.6827 ha वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:-

- Approval of the project by competent authority be provided.
- It may be confirmed whether for CA plantation Kaluana Distry Rd 120-183 L/R and Choutala Distry Rd 120-183 L/R are same side or not. CA site i.e., Kaluana Distry Rd 120-183 L/R side is uploaded under 13(i) of part II whereas in site suitability certificate, plantation site is given as Choutala Distry Rd 120-183 L/R.

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

(एस० डी० शर्मा)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. Divisional Forest Officer, Forest Division and District Sirsa, Haryana
2. The Executive Engineer, P.H. Engineering Division, Mandi Dabwali